प्रमाणित प्रतिलिपि

सहायक निबंधक

दीवानी वाद

सहायक कलक्टर

न्यायालय

वादी

प्रतिवादी

वाद संख्या

वादी का संक्षिप्त कथन

वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध यह वाद इस आशय से प्रस्तुत किया है कि वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 4 माह 2010 को 11,000/- रुपये (ग्यारह हजार रुपये) में एक मकान बेचने का सौदा किया था। इस सौदे के अनुसार वादी ने प्रतिवादी को 1,000/- रुपये (एक हजार रुपये) सौदा पेटे अग्रिम दिये थे। शेष राशि 10,000/- रुपये (दस हजार रुपये) का भुगतान विक्रय पत्र के समय किया जाना था। वादी ने प्रतिवादी को विक्रय पत्र के लिए कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी ने विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 1 माह 2010 को एक नोटिस भेजकर विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी ने विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। अतः वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है।

प्रतिवादी का कथन

प्रतिवादी ने वादी के कथन से इन्कार किया है। प्रतिवादी का कथन है कि वादी ने प्रतिवादी को 1,000/- रुपये सौदा पेटे अग्रिम दिये थे। शेष राशि 10,000/- रुपये का भुगतान विक्रय पत्र के समय किया जाना था। वादी ने प्रतिवादी को विक्रय पत्र के लिए कई बार कहा परन्तु प्रतिवादी ने विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 1 माह 2010 को एक नोटिस भेजकर विक्रय पत्र निष्पादित करने हेतु कहा परन्तु प्रतिवादी ने विक्रय पत्र निष्पादित नहीं किया। अतः वादी ने यह वाद प्रस्तुत किया है।

28.10.2010